एडीडबल्यूडीआरएस – 2008 की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा – सुधारात्मक उपाय – मासिक रिपोर्टिंग का फॉर्मेट										
बैंक का नाम:									मामलों की संख्या एवं असली राशि का रुपए में पूर्णांकन के बिना विवरण दें	
वर्ग	मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूल की गई राशि	यदि वसूली नहीं की गई है, तो उसके कारण	क्या, उत्तरदायित्व निर्धारित की गई है।	क्या, कार्रवाई की गई है।	यदि कार्रवाई नहीं की गई, तो उसके कारण	क्या अपराध का पता चला है	क्या एफ़आईआर दायर है, यदि हां तो एफ़आईआर की संख्या	यदि एफ़आईआर दायर नहीं है, तो उसके कारण
(1) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य होने पर भी लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देते समय संस्थाओं द्वारा अस्वीकृत किए गए कृषकों की संख्या										
(2) मानकों के अनुसार अयोग्य होने पर भी योजना के अधीन लाभ अनुदानित किए गए लाभार्थियों की संख्या। बताए गए प्रयोजन अयोग्य थे या पात्र अवधि के लिए दावा नहीं किया गया था										
(3) इस योजना के तहत संस्था को की गयी प्रतिपूर्ति जो योजना के अनुसार सीधे लाभार्थी के बजाय मायक्रो वित्त संस्थानों को दी गयी।										
(4) योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजीकरण पर्याप्त रूप में नहीं रखा गया हैं। ऐसे मामलों की संख्या जहां रिकार्ड के साथ छेडछाड, ओवररायटिंग, परिवर्तन का सबूत मिला है।										
(5) दिशा निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को लाभ नहीं दिया गया। योजना का अनुचित लाभ दिया गया या लाभार्थियों को वास्तविक राशि से वंचित किया गया।										
(6) प्रभार / नामे ब्याज / योजना के अंतर्गत दावे जो दिशा निर्देशों के अनुसार नही है या जो खर्च नहीं हुआ हैं।										
(7) लाभार्थियों के खातों की संख्या के मामले में बुनियादी रिकॉर्ड न होने के बावजूद शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति किए गए दावे।										
(8) जारी नही किए गए ऋण माफी/राहत प्रमाणपत्र।										
(9) ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र और आंकडे स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया ऐसे मामले ।										